न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

अज अदालत – श्री शिवपाल जाट, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 57/2019

1 भंवरलाल पुत्र हिम्मताराम जाति जाट निवासी रोझां तहसील लूनकरनसर

..... **प्रार्थी**

बनाम

1. जीवणराम पुत्र सुगनाराम जाट निवासी रोझां तहसील लूनकरनसर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–

1 श्री रामकरण मूण्ड – वकील प्रार्थी।
2 अप्रार्थी सं. 1 स्वयं।
3 राज्य की ओर से पैरोकारराज

–: आदेश :–

दिनांकः– **31.07.2019**

1. प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि चक 16 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 209/19 के किला नम्बर 16 में दो बिस्वा भूमि पासा दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम में पूर्व में स्वीकृत रास्ता मु.नं. 209/27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के चिपता होने से तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि किला नम्बर 13, 14, 17 ता 21, 22, 23 में प्रवेश हेतु चाहा गया। अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता हेतु भूमि देने में इस शर्त पर सहमत है कि प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि मु.नं. 209/19 के कि.नं. 17 की पूर्व दिशा में 2 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री अप्रार्थी के पक्ष में करवाने में सहमत है तो अप्रार्थी की भूमि कि.नं. 16 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करने में अप्रार्थी को कोई आपति नहीं है।
2. प्रार्थी को उक्त जवाब की प्रति उपलब्ध करवाई गई। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट व सहमत है। राज पैरोकार को इस में कोई आपति नहीं है।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी व नक्शा व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी का भी

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया चूंकि प्रार्थी को अपनी जोत में प्रवेश करने हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। मु.नं. 209/27 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में कटानी रास्ता है। जो अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि मु.नं. 209/19 के कि.नं. 16 है जो प्रार्थी की भूमि के बीच में पड़ता है। हमारी दृष्टि में कि.नं. 16 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने से प्रार्थी को अपनी जोत में प्रवेश करने में सुविधा होगी। अप्रार्थी संख्या 01 इसमें सहमत है तथा प्रार्थी अप्रार्थी को उक्त रास्ते में कम हुई भूमि के बदले में मु.नं. 209/19 के कि.नं. 17 की पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दो बिस्वा भूमि का बैयनामा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में करवाने हेतु सहमत है।

4. अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूनकरनसर को आदेशित किया जाता है कि चक 16 सीएचडी के मु.नं. 209/19 के कि.नं. 16 दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ते का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में इसी चक व मु.नं. के कि.नं. 17 की पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण का बैयनामा की प्रति पेश करने पर स्वीकृत रास्ता का रिकार्ड में अंकन कर मौका पर रास्ता का सीमाज्ञान करवावें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

5. यह आदेश आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner